

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2025/ 948

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 28.02.25

प्रार्थी

अप्रार्थीगण

1 रामराम पुत्र प्रागाराम
जाति जाट निवासी
जाखड़ो की ढाणी
तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

1 दीपाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति
जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तहसील
व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-333/2023

दिनांक- 15/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा रामदेवपुरा पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 370/276 रकबा 6.7582 हेक्टर व मौजा मण्डो का तला पटवार क्षेत्र जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 368/204 रकबा 3.4560 हेक्टर व खसरा संख्या 858/201 रकबा 17.4176 हेक्टर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 949 - 52

दिनांक- 28.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ो की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी रामराम पुत्र प्रागाराम जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण दीपाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति जाट निवासी जाखड़ो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।





उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर